राज्य सैक्टर/आयोजनागत
संख्या–482/ III (2)/04–10(बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 18 मई, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 मे अनुसूचित जाति/जनजाति स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अर्न्तगत चालू कार्यो हेतु लेखानुदान मे प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव ,वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–240(1)/वित्त अनुभाग–1/2004 दिनांक 27 मार्च,2004 के अनुपालन मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे अनुसूचित जाति/जनजाति स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अर्न्तगत चालू कार्यो हेतु रू0 44000 हजार(रूपये चार करोड चालीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– (क) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू कार्यो पर अनुमोदित लागत की सीमा तक सर्वप्रथम उन कार्यो पर किया जायेगा ,जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है,जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य अवशेष नही है,उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के उपलब्ध कार्य किये जायेगे एवं व्यय करने से पूर्व चालू कार्यो की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्न्तगत मानको का परियोजना चयन मे ध्यान रखा जायेगा ।

(ग) स्वीकृत धनराशि के संबंध मे जिलेवार फांट करके खण्डवार संकलित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(घ) उक्त स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो के विवरण एवं वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण भी कार्य पूर्ण होने के 15 दिन अथवा 31–3–05 जो भी पूर्व मे हो तक उपलब्ध कराया जायेगा, स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण विगत वर्ष उक्त योजनाओ मे स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा ।

(ड) निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तथा निर्माणा हेतु पूर्ण धनराशि के व्यय के बाद निर्माण कार्य की योजनावार अनुमानित लागत तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करायेगे ।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

4– यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो /पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम अधिकारी की तकनिकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6– व्यय उन्ही मदो पर किया जायेगा ,जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

7– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि जिलेवार आबंटित प्लान परिव्यय के अनुसार जिला नियोजन एवं अनुरश्रवण समिति की संस्तुति के अनुसार ही धनराशि जनपदवार आहरित की जाय ।

8– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडको तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय –04–जिला तथा अन्य सडके आयोजनागत–800 अन्य व्यय–02 अनुसूचित जाति/जनजाति स्पेशल कम्पोनेंट के अधीन–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9– **यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 245/वित्त अनुभाग–3/04,दिनांक, 11 मई,.2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।**

भवदीय

(टी0के0 पन्त
संयुक्त सचिव

संख्या–482(1)/लो.नि.2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखि।त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी, उत्तरांचल ।
4– मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा ।
5– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
7– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल देहरादून ।
8– अनुभाग–1 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

R.c.xoshi-Go-mw

WIC
225